कन्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/639/2005/अलवर

धर्मवीर पुत्र श्री राम जाति चमार निवासी ग्राम जखराना तहसील बहरोड़ जिला अलवर।

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर।

....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री आर0के0जायसवाल, सदस्य

उपस्थितः–
श्री सोहनपाल सिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्रीमति पूनम माथुर, अति0 राजकीय अधिवक्ता।

–

निर्णय

दिनांकः 03–04–2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील सं0 59/2003 (179/01) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–08–2004 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, मुण्डावर ने अधिनियम की धारा 175 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र सहायक कलक्टर, मुण्डावर के न्यायालय में पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी जाति चमार की खातेदारी की थी उक्त आराजी को धर्मवीर पुत्र श्रीराम सा0 जखराना ने दिनांक 21–10–94 को क्या किया। धर्मवीर ने अपनी जाति चमार बताकर रजि0 तस्दीक करवाई है जबकि धर्मवीर जाति से अहीर है। अतः

दोषी धर्मवीर के विरूद्ध अधिनियम की धारा 175 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावें। विचारण ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय ने उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22–06–2001 द्वारा विक्रय को अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन मानते हुए विवादित आराजी को सिवायचक घोषित कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04–08–2004 द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है।

3– सर्वप्रथम हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस मियाद के बिन्दू पर सुनी व मनन किया।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रा0 पत्र अन्तर्गत भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में अंकित गए तथ्यों व शपथपत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए द्वितीय अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते है।

5– तत्पश्चात् हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस गुणावगुण पर सुनी।

6– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत है। उनका तर्क था कि उसने विवादित भूमि रेकार्डेड खातेदार काश्तकार नानगी बेवा देवीसहाय एवं शिवलाल, ग्यारसा पुत्रान देवीसहाय से क्रय की अर्थात अपीलार्थी धर्मवीर चमार ने बहुमूल्य प्रतिफल देकर जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21–10–94 द्वारा क्रय की,

ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अधिनियम की धारा 175 के अन्तर्गत पेश किया गया प्रा0 पत्र संधारण योग्य नहीं था, क्योंकि धर्मवीर क्रेता व विक्रेता जाति से चमार है। उक्त तथ्य को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने नजरअंदाज करते हुए अपने निर्णय व डिक्री प्रदान किए। उनका तर्क था कि विचारण न्यायालय ने उसे सुने बिना अपना निर्णय प्रदान किया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। उनका तर्क था कि उसने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी जाति चमार होना सिद्ध किया है। उनका तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अधिनियम की धारा 175 (4) में वर्णित कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत प्रा0 पत्र में अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया है तथा आदेश 20 नियम 5 एवं आदेश 41 नियम 31 के वर्णित प्रावधानों के एकदम विपरीत है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

7– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उचित है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। द्वितीय अपील के क्षैत्र सीमित होता है। अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें।

8– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

9– प्रकरण का अवलोकन किया गया। योग्य अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि तहसीलदार द्वारा अधिनियम की धारा 175 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का उनके द्वारा प्रतिवाद/खण्डन किया गया था, अतः धारा 175 (4) के तहत दावे की प्रक्रिया अपना कर इसका निस्तारण किया जाना चाहिए था। समरी प्रोसीजर अपनाकर जो निर्णय व

डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई है वह गैर कानूनी है। परन्तु यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। राज्य सरकार की अधिसूचना वर्ष 1981 के द्वारा सेक्शन 4 ए जोड़ा गया है, जिसके अनुसार यदि प्रकरण सेक्शन 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के उल्लंघन बाबत् हो तो सेक्शन 175 (4) में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक नहीं है तथा समरी प्रोसीजर के तहत अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी/अप्रार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक प्रावधानो की अनदेखी नहीं की गई है। सुगम संदर्भ के लिए सेक्शन 175 (4 ए) के प्रावधान निम्नानुसार हैः–

> '[4 (a) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (4) , if the application is in respect of contravention of the provision contained in section 42 or the provisio to sub-section (2) of section 43 or section 49&A, the court shall after giving a reasonable opportunity to the parties of being heard, conclude the enquiry in a summary manner and pass order, as far as may be practicable within a period of three months from the date of the appearance of the non-applicants before it, directing ejectment of the tenant and his transferee or sub-lessee from the area transferred or sub-let in contravention of the said provision.]"

10–प्रकरण में तहसीलदार व संबंधित पटवारी के द्वारा अपने बयानों में अपीलार्थी धर्मवीर की जाति अहीर होना

बताया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जाति प्रमाण पत्र, राशनकार्ड या अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई, जो कि इस तथ्य की पुष्टि करता हो कि वह चमार जाति का हो। प्रकरण में विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार मु नानगी, शिवलाल वगैरह जाति चमार के द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21–10–94 से वर्तमान अपीलार्थी धर्मवीर के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है तथा तहसीलदार द्वारा धारा 175 के तहत ए0सी0एम0 न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 04–10–95 को पेश किया गया है। चूँकि लिमिटेशन की अवधि 30 वर्ष है, अतः उक्त प्रार्थना पत्र समय सीमा में ही प्रस्तुत किया गया है।

11–अतः हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के समुचित विवेचन एवं विश्लेषण उपरान्त तथा अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किए गए है, जिसमें द्वितीय अपील स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। अतः द्वितीय अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर0के0जायसवाल)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष